उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या : सीपी 66/84-2-2013-सी0पी0 8/2012

लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2013

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नियुक्त व्यक्ति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	पद का नाम
1	श्री अशोक कुमार चौधरी पुत्र स्व0 श्री अमर चन्द्र सिंह चौधरी, पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पूर्व अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, फतेहपुर। 4/216-ए, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।	05.01.1948	सदस्य (पूर्णकालिक)
2	श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा पुत्र स्व0 श्री नरेन्द्र नाथ सिन्हा, पूर्व अपर जिला जज एवं वर्तमान अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, सिद्धार्थनगर। 185, अलोपीबाग, इलाहाबाद।	12.02.1950	सदस्य (पूर्णकालिक)
3	श्री आलोक कुमार बोस पुत्र स्व0 श्री प्रफुल्ल कुमार बोस, पूर्व जिला जज। 1/199, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।	30.10.1951	सदस्य (पूर्णकालिक)
4	श्री राम चरन चौधरी पुत्र स्व0 श्री राम आधार, पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। 5/161, विनय खण्ड-5, गोमतीनगर, लखनऊ।	01.01.1952	सदस्य (पूर्णकालिक)

2. राज्य आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त उपर्युक्त सदस्य उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 6(1)(क) एवं 6(1)(ग) में प्रावधानित मानदेय एवं मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा शासनादेश संख्या-सीपी 502/84-2-2010-सीपी 29/99 दिनांक 07 जनवरी, 2011 में प्रावधानित वाहन भत्ता भी प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,

(दीपक त्रिवेदी)

प्रमुख सचिव।

...2/-

पृष्ठांकन संख्या- सीपी 66(1)/84-2-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 11, मार्च, 2013 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

/

(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-सीपी 66(2)/84-2-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(2) माननीय अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।
(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि वह कृपया उपर्युक्त चयनित राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में प्रावधानित परिवचन प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(4) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 5वां तल, ए विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 ।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(8) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
(9) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(10) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(11) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(13) संबंधित सदस्यगण (द्वारा स्पीड पोस्ट)।
(14) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी.।
(15) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ।
(16) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1
(17) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जगदीश सिंह)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या : सीपी 48/84-2-2013-सी0पी0 8/2012
लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2013

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-16 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1)(1क) के अंतर्गत गठित चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित व्यक्तियों को राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं :-

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व विज्ञापन में अपेक्षित अर्हताओं से संबंधित अभिलेख तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन के वांछना की संवीक्षा की पूर्ति अवश्य करा ली जाय।

क्र.सं.	नियुक्त व्यक्ति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	पद का नाम
1	श्रीमती बाल कुमारी पत्नी श्री कायम सिंह यादव, पूर्व सदस्य, जिला उपभोक्ता फोरम, मैनपुरी। 1520, ओमनगर, वन्शीगोहरा, मैनपुरी।	01.01.1958	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
2	श्री संजय कुमार पुत्र श्री बलराम प्रसाद खरवार, मुहल्ला-हरपुर(निकट कोतवाली) जनपद बलिया।	01.06.1966	सदस्य (पूर्णकालिक)

2. राज्य आयोग में सदस्य पद पर नियुक्त उपर्युक्त सदस्य उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 के नियम 6(1)(क) एवं 6(1)(ग) में प्रावधानित मानदेय एवं मकान किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा शासनादेश संख्या-सीपी 502/84-2-2010-सीपी 29/99 दिनांक 07 जनवरी, 2011 में प्रावधानित वाहन भत्ता भी प्राप्त करेंगे।

आज्ञा से,
(दीपक त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- सीपी 48(1)/84-2-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 11, मार्च, 2013 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(सुभाष चन्द्र त्रिवेदी)
विशेष सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-सीपी 48(2)/84-2-2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) माननीय अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी की आयु, शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी अभिलेखों को मूल प्रमाण पत्रों से जांच लें तथा संबंधित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अवश्य देख लें और इन सभी के सही होने की दशा में ही नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को राज्य आयोग में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा उसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जाय। उक्त के अतिरिक्त उपर्युक्त नियुक्त राज्य आयोग के सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में प्रावधानित परिवचन प्राप्त करके शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) संबंधित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यह नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि चरित्र सत्यापन के उपरांत निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा राज्य आयोग में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। निबन्धक, राज्य आयोग से कार्यभार ग्रहण संबंधी पत्र प्राप्त होने पर पन्द्रह दिवसों के अंदर आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि अभिलेखों के मूल प्रमाण पत्रों तथा वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं है, के शपथ पत्र सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(5) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 5वां तल, ए विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001।

(6) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(7) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(9) निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।

(10) जिलाधिकारी, लखनऊ।

(11) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(12) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(13) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तर प्रदेश (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।

(14) संबंधित सदस्यगण (द्वारा स्पीड पोस्ट)।

(15) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।

(16) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

(17) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1।

(18) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जगदीश सिंह)
उप सचिव।